न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 97 / 2021

1 रामेश्वर पुत्र तेजाराम
2 गोरूराम पुत्र अर्जुनलाल
3 विद्याधर पुत्र अर्जुनलाल
4 महिपाल पुत्र मोहन
5 शीशराम पुत्र मोहन
6 धापा पत्नी मोहन
7 छोटी देवी पत्नी स्व. झाबर
8 राजेश पुत्र स्व. झाबर
जाति समस्त जाट निवासीगण दूड़िया तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
9 सावित्री पत्नी सरदार सिंह पुत्री स्व. झाबर जाति जाट निवासी बिशनपुरा (ब्राह्मणो की ढाणी) तहसील व जिला झुन्झुनू।
10 सजना पत्नी मनरूप सिंह पुत्री स्व. झाबर जाति जाट निवासी सोलाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
11 भंवरी देवी पत्नी स्व. सुभाष
12 सुनील पुत्र स्व. सुभाष
जाति समस्त जाट निवासीगण दूड़िया तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
13 सुनिता पत्नी रामप्रताप पुत्री स्व. सुभाष जाति जाट निवासी बड़ की ढाणी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
14 सुमन पुत्री स्व. सुभाष जाति समस्त जाट निवासीगण दूड़िया तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

1 प्रभुदयाल पुत्र मांगु
2 श्रवण कुमार पुत्र मांगु
3 बजरंगलाल पुत्र मांगु
जाति समस्त जाट निवासीगण दूड़िया तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
4 बनवारीलाल पुत्र मांगु जाति जाट निवासी ओला की ढाणी तन छावसरी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
5 राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955
अपील खिलाफ निर्णय बअदालत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू मुकदमा उनवानी झाबर वगै. बनाम प्रभुदयाल वगै. अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट 1955 मु.नं. 236/2018 निर्णय दिनांक 30.09.2021

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुरेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 9.9.24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी (कैम्प झुन्झुनू)

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 236/2018 में पारित निर्णय दिनांक 30.09.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र 251 ए वाके ग्राम दूड़िया का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के जबाब को आधार मानकर विचारण न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह गलत है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व 4 ने अपीलान्टस की प्लींडिग का खण्डन नहीं किया है। विचारण न्यायालय को अपीलान्टस द्वारा चाहा गया रास्ता कायम करना चाहिए था। अपीलान्टस ने मौजुदा 10 फुट चौड़े रास्ते को 4 मीटर चौड़ा कायम करवाना चाहा था। अपीलान्टस द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शे में बिन्दु सी से डी रास्ते को 4 मीटर चौड़ा करवाने का अनुतोष चाहा गया। उक्त रास्ता मौके पर 10 फुट चौड़ाई का होना न्यायालय सहायक कलेक्टर झुन्झुनू दावा उनवानी मंगला बनाम तेजाराम वगे. मुकदमा नम्बर 108/1977 निर्णय दिनांक 03.08. 1978 में प्रस्तुत राजीनामा दिनांकित 03.081978 से साबित है। उपरोक्त सहायक कलेक्टर की विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के पिता मांगु ने बतौर वादी दिनांक 03.08.1978 को राजीनामा किया था। उप वर्णित तथ्यों को विचारण न्यायालय ने नजर अंदाजकर निर्णय जेर बहस पारित करने में कानूनी गलती की है। विचारण न्यायालय ने धारा 251 ए आर.टी.एक्ट 1955 व राजस्थान टिनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) नियम 1955 के नियम 68 से 70 के प्रावधानों को नजर अंदाज कर निर्णय जैर बहस पारित किया है। अपीलान्टस ने मौजुदा रास्ते की चौड़ाई बढ़वाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का निवेदन विचारण न्यायालय से किया। इसके विपरित विचारण न्यायालय ने अन्य जगह से अलग रास्ता कायम करने का निर्णय पारित कर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

दिया है। विचारण न्यायालय के समक्ष झाबर पुत्र तेजाराम आवेदक संख्या 1 रहा है। उक्त झाबर का देहान्त दिनांक 01.08.2021 को हुआ। कानून की जानकारी के अभाव में उक्त मृत्यु की सूचना विचारण न्यायालय के यहां नहीं दी जा सकी। मृतक झाबर के वारिसान अपीलान्टस संख्या 8 से 10 क्रमशः पत्नी व पुत्र व पुत्रियों होने से है तथा स्व. झाबर के मृत पुत्र सुभाष के वारिस अपीलान्टस संख्या 12 से 14 है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 08 से 14 स्व. झाबर के वारिस है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रार्थीगण ने ग्राम दूड़िया पटवार हल्का दूड़िया की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 161/1, 161/2, 162 में आवागमन के लिए भूमि खसरा नम्बर 166, 167 में से 4 मीटर चौड़ा रास्ता चाहा है। पत्रावली पर मौजूद तहसीलदार उदयपुरवाटी से दिनांक 31.08.2021 को प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट के अवलोकन से साबित है कि अप्रार्थीगण ने आपसी सहमती से भूमि खसरा नम्बर 166, 167 की सीमाएं वास्तविक स्थान की बजाय अन्य स्थान पर कायम कर रखी है तथा प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता को राजकीय रास्ता कायम किये जाने पर अप्रार्थीगण की भूमि के दो टुकड़े हो जाएंगे। अप्रार्थीगण संख्या 3 ने प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र मय अतिरिक्त के पैरा संख्या 14 एवं बहस के दौराने अवगत करवाया कि अप्रार्थीगण संख्या 3 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1139/165 की पश्चिमी सीमा पर रास्ता लगता है, यदि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1139/165 के दक्षिणी पश्चिमी कोने से खसरा नम्बर 162 के उत्तरी पश्चिमी कोने तक रास्ता दिया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 3 को कोई एतराज आपत्ति नहीं है, जहां से भूमि खसरा नम्बर 161/1, 161/2 में आवागमन कर सकते है। हस्तगत प्रकरण में न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि प्रार्थीगण की जोतों तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता मौजूद नहीं है तथा प्रार्थीगण की जोतों पर पहुचने के लिए अप्रार्थीगण संख्या 3 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र मय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

अतिरिक्त कथन के पैरा संख्या 14 के अनुसार रास्ता कायम किये जाने पर अप्रार्थीगण भूमि दो टुकड़ों में भी विभक्त नहीं होगी तथा उक्त पैरा संख्या 14 के अनुसार रास्ता कायम किये जाने पर अप्रार्थीगण सहमत भी है। उक्त विवेचन से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जरिये प्रार्थीगण की जोतो तक पहुचने के लिए रास्ता कायम किये जाने में विचारण न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्टस ने मौजुदा 10 फुट चौड़े रास्ते को 4 मीटर चौड़ा कायम करवाना चाहा था। अपीलान्टस द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शे में बिन्दु सी से डी रास्ते को 4 मीटर चौड़ा करवाने का अनुतोष चाहा गया। उक्त रास्ता मौके पर 10 फुट चौड़ाई का होना न्यायालय सहायक कलेक्टर झुन्झुनू दावा उनवानी मंगला बनाम तेजाराम वगे. मुकदमा नम्बर 108/1977 निर्णय दिनांक 03.08. 1978 में प्रस्तुत राजीनामा दिनांकित 03.081978 से साबित है। उक्त वर्णित तथ्यों को विचारण न्यायालय ने विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय ने धारा 251 ए आर.टी.एक्ट 1955 व राजस्थान टिनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) नियम 1955 के नियम 68 से 70 के प्रावधानों की पालना कर विचाराधीन निर्णय पारित नहीं किया है। अपीलान्टस ने मौजुदा रास्ते की चौड़ाई बढ़वाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का निवेदन विचारण न्यायालय से किया। इसके विपरित विचारण न्यायालय ने अन्य जगह से अलग रास्ता कायम करने का निर्णय पारित कर दिया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में धारा 251 ए की नियम 68 से 70 की पालना में पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.10.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 9.9.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धौलक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
(कैम्प झुन्झनूं)